न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आरएएस

अपील सख्या 2017/00074 (18/2016) 223 आरटीएक्ट

उदम सिंह पुत्र श्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ——अपीलांट

बनाम

1. नरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
2. लखविन्द्रकौर पुत्री नरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
3. किरणकौर पुत्री नरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
4. सिमरपालकौर पुत्री नरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
5. जोधासिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
6. लखविन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
7. लाभसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
8. अवतारसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
9. दलबारासिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली तह0संगरिया
10. करतारसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
11. जोरासिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
12. मनजीतकौर पत्नि काकासिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
13. तरसेमसिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
14. निर्मलसिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
15. कलवन्तसिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख नि0बुगलांवाली
16. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ——रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया दिनांक 15.02.2016

उपस्थितिः—

श्री अनीलकुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री प्रदीपमोहन भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

निर्णय दिनांक 03.05.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने रेस्पोडैन्ट के विरूद्व एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। चक 29 ए एम पी खाता संख्या 23/23 में सांझा खाता में भूमि है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने दुर्भावना बंश बिना किसी आदेश के दर्शन सिंह सिंह पुत्र मुकन्द सिंह का नाम कलमजन कर दिया, उक्त खाता के खातेदारान ने अपना खाता अलग कायम करवा लिया उक्त खाता में .923 हैक्टयर भूमि शेष रही है जो वादी के हक हिस्सा की है व वादी के कब्जा काश्त में है। अतः वाद–पत्र वादी डिक्री किया जाकर वादी को चक 29 ए एम पी खाता संख्या 42/37 की .923 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व अन्य समस्त हिस्सेदारान का नाम कलमजन किया जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 16 ने राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्ण किये जाने के कथन किये।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.02.2016 को वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद–पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. दौराने अपील अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 15 ने उपस्थित होकर विचाराधीन अपील में राजीनामा प्रस्तुत किया व मुताबिक राजीनामा अपीलांट को प्रश्नगत् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

4. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रैस्पोडैन्ट ने मुताबिक राजीनामा अपील का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 मं चक 29 ए एम पी के खाता संख्या 23/23 की भूमि कुल हिस्सा 11.307 हिस्सा दर्ज है जिसमें दर्शन सिंह वल्द मुकन्द सिंह 3769 हिस्सा दर्ज है, जबकि इसी भूमि की प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 में दर्शन सिंह वल्द मुकन्द सिंह का नाम दर्ज नही है। चक 29 ए एम पी में कुल 11.307 हैक्टयर भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज थी उक्त कुल भूमि में किस हिस्सेदार का कितना हिस्सा था व कौन से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सेदार ने अपना हिस्सा कब और किस प्रकार से अलग करवाया है, अपीलांट द्वारा यह कही स्पष्ट नही किया है कि दर्शन सिंह वल्द मुकन्द सिंह के नाम दर्ज हिस्सा कहा और किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में दर्शनसिह का नाम कलमजन डिक्री की पालना में किया गया है। डिक्री/उक्त प्रविष्टि से आपत्ति है तो उसकी अपील की जानी चाहिए थी। इस अपील में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में संशोधन किया जावे।

7. अपील पेश करने के पश्चात् प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश किया गया है और विवादग्रस्त भूमि को अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज करने की सहमति दी है। जब किसी डिक्री के आधार पर कोई प्रविष्टि रेस्पोडेण्टगण के पक्ष में हुई है तो उसे अपीलाण्ट के पक्ष में महज राजीनामा के आधार पर पर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि पक्षकारान सहमत हैं तो वे नियमानुसार विहित प्रक्रिया द्वारा उप पंजियक के यहां मुताबिक राजीनामा विवादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित करने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु इस न्यायालय द्वारा जरिये डिक्री मुताबिक राजीनामा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तो सरकार की राजस्व हानी होना संभावित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अस्वीकार होने योग्य पाई जाती है।

8. अतः यह अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2016 यथावत् रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

03/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official